न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आल्हाद निवृति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
39/2021	10.02.2021	16.04.2024

उनवान

1. छोटु लाल जाट पुत्र श्री मूलचन्द जाट, उम्र वयस्क, निवासी गांव गणेशपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0

प्रार्थीगण

उपस्थितः—अधिवक्ता प्रार्थी प्रकाश देवाणी
अधिवक्ता कैलाश सोमानी

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् रेकार्ड में हुई त्रुटि को दुरस्थ कराये जाने :—

—: निर्णय :—

दिनांक 16/04/2024

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की सामलाती खातेदारी अधिकार की कृषि भुमि ग्राम तस्वारिया पटवार हल्का पालड़ी भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित है। जिसका विवरण इस प्रकार हैः— कमशः 584 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा भूमि गोपाल पिता भेरू जाट निवासी गणेशपुरा के नाम जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 र्ज रेकार्ड है। उक्त भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.04.1980 के आधार पर जमाबन्दी में र्ज चली आ रही है। प्रार्थीवादी अपना नाम छोटु लाल पिता मूलचन्द जाट दर्ज कराना हता है। प्रार्थीवादी का नाम छोटु लाल पिता मूलचन्द जाट होने के समर्थन में आधार कार्ड, रत निर्वाचन का पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड की प्रति, बैक पासबुक की प्रति, संलग्न तुत की है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी के नोटिस जारी किए गए। क्षी की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित है। प्रार्थीगण अधिवक्ता की एवं राजस्थान राज्य ओर से पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में ना पत्र में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए गोपाल पिता भेरू जाट निवासी गणेशपुरा के य छोटु लाल पिता मूलचन्द जाट दुरूस्त कराने की प्रार्थना की है। विपक्षी की ओर से कार सरकार ने प्रार्थना पत्र के स्वीकार करने में आपती प्रकट की है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का परीक्षण किया गया। उपयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं ग्राम तस्वारिया के आराजी नम्बर 584 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा भूमि जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 में गोपाल पिता भेरू जाट निवासी गणेशपुरा के नाम दर्ज है। उक्त भूमि में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.04.1980 से क्रय की ाई है। विक्रय पत्र में केयता का नाम गोपाल पिता भेरू जाट अंकित है। इस प्रकार वादी का आराजी नम्बर 584 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा भूमि में छोटू लाल पिता मूलचन्द जाट रूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होता है। अतएव

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट का ग्राम वारिया पटवार हल्का पालड़ी भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सांगानेर तहसील व जिला नवाड़ा के आराजी नम्बर 584 रकबा 2 बिघा 11 बिस्वा भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.1980 के आधार पर गोपाल पिता भेरू जाट के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई है। इस र राजस्व रेकार्ड में त्रुटि नहीं होने से वादी का नाम गोपाल पिता भेरू जाट के बजाय लाल पिता मूलचन्द जाट निवासी गणेशपुरा दुरूस्त नहीं किया जा सकता है। निर्णय की ाति पालनार्थ तहसीलदार भीलवाड़ा को प्रेषित की जाए।

Ahad
(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा